विभागीय 4/10/21

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

अध्यक्ष (चेयरमेन),
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
नई दिल्ली।

पत्रांकः– रा0प0का0/750 /नि0का0–अ0उ0वि0यो0(1)/2021–22, दिनांक04 सितम्बर, 2021

विषयः **उत्तराखण्ड राज्य के अटल उत्कृष्ट राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सी.बी.एस.ई. सम्बद्धता सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के निराकरण विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–421/xxiv-B-1/21–02 (01)/2020TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि, चयनित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. के मानकों के अनुसार चिह्नित कमियों/आपत्तियों को आगामी तीन वर्ष के भीतर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्तमान में राज्य के 189 अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सी.बी.एस.ई. सम्बद्धता हेतु Online आवेदन प्रक्रिया का तृतीय चरण गतिमान है तथा अधिकांश विद्यालयों को CBSE से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है। जबकि CBSE द्वारा लगभग 13 वद्यालयों के सम्बद्धता आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये हैं। इसी क्रम में सचिव विद्यालयी शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्याः SPO/57/CW-AUV/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल 2021 के माध्यम से अनुरोध किया गया कि सी.बी.एस.ई. द्वारा उल्लिखित विभिन्न अपत्तियों के निराकरण हेतु विद्यालयों को अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की सफलता हेतु समस्त 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को सी.बी.एस.ई. सम्बद्धता प्रदान करवाने का कष्ट करेंगे।

CBSE अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया था कि ऐसे विद्यालय जिनके सम्बद्धता आवेदन पत्र निरस्त हुए हैं एवं सम्बन्धित विद्यालयों के द्वारा प्रथम बार शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, उन्हें दूसरी बार शुल्क का भुगतान नहीं करना है। जनपदों के माध्यम से विद्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसे उक्त 13 विद्यालयों को अद्यतन CBSE सम्बद्धता प्राप्त नहीं हुई है। जबकि उनके द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर वर्तमान में सम्बद्धता के तीसरे चरण में पुनः SARAS पर आवेदन किया गया है तथा कतिपय विद्यालयों द्वारा Demand प्रदर्शित होने पर दूसरी बार शुल्क का भुगतान भी किया गया है। इस आशय की सूचना संबंधित विद्यालयों द्वारा CBSE को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी है।

इसी प्रकार कतिपय विद्यालयों, जैसे अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज नैनीताल तथा अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कॉलेज सिकरौढ़ा हरिद्वार के प्रकरण सी0बी0एस0ई0 को सन्दर्भित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित किये गये हैं। उक्त विद्यालयों पर समयान्तर्गत OASIS अपडेट न करने के फलस्वरूप रू0 60,000.00 एवं रू0 80,000.00 अर्थ दण्ड लगाया गया है। यद्यपि राज्य स्तर से जनपदों के माध्यम से विद्यालयों को निर्देशित किया गया था कि सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता प्राप्त होने के तत्काल बाद समयान्तर्गत CBSE Portal पर विद्यालय अपना OASIS डाटा अपडेट कर दें।

आप विज्ञ हैं कि अटल उत्कृष्ट योजना के अन्तर्गत चयनित समस्त विद्यालय राजकीय विद्यालय हैं तथा एक व्यवस्था (उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्–UK Board) से दूसरी व्यवस्था (CBSE Affiliate) की ओर अग्रसर है। अतः नयी व्यवस्था के प्रारम्भ में कुछ कमियों का होना स्वाभाविक है। कतिपय अटल उत्कृष्ट विद्यालय राज्य के दूरस्थ स्थानों में अवस्थित हैं, जहां इण्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या रहती है।

क्रमशः.....2

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इन विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों के भविष्य के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर समयान्तर्गत सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करेंगे–

1. ऐसे अटल उत्कृष्ट विद्यालय जिनको अद्यतन CBSE सम्बद्धता प्राप्त नहीं हुई है तथा उनके द्वारा तृतीय चरण में कमियों के निराकरणोपरान्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं। उन्हें CBSE सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
2. ऐसे विद्यालय जिनके द्वारा दो बार शुल्क जमा किया गया है, उनका अतिरिक्त शुल्क विद्यालय को वापस करवाने के सम्बन्ध में।
3. OASIS सम्बन्धी अर्थ दण्ड से छूट प्रदान करते हुए, सम्बन्धित विद्यालयों के लिए OASIS Unfreeze करवाने के सम्बन्ध में।
4. कतिपय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों द्वारा विद्यालय के नाम के प्रारम्भ में "अटल उत्कृष्ट" नहीं जोड़ा गया है तथा सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा CBSE से इस आशय का अनुरोध भी किया गया है। ऐसे विद्यालयों के नाम में संशोधन के लिए प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने के सम्बन्ध में।

पुनः अनुरोध है कि CBSE सम्बद्धता विषयक उक्त समस्याओं का निराकरण करवाते हुए विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु यथोचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय

B Tiwari

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 :– रा0प0का0/ 750 / नि0का0–अ0उ0वि0यो0(2)/2020–21, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– 1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. Ms. सीमा खाखा, सहायक सचिव, सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री रणवीर सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त–जनपद, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि सम्बद्धता प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

B Tiwari

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner